IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त

सेक्टर-13, आफिस काम्पलैक्स, द्वितीय तल,

पं० दीनदयाल उपाध्यायपुरम् (सिकन्दरा योजना), आगरा

Email: seavpagra@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 Bureau of Indian Standards SQMS

संख्याः 142 /यू०पी०एच०डी०बी०/ DW-24/06 दिनांक 15/01/2025

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत समान कार्य के अनुभवी ठेकेदारों से टू–बिड पद्धति पर राज्य सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाइट http://etender.up.nic.in के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऑनलाईन निविदायें आमन्त्रित की जाती है, जो निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–आगरा–02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा/अलीगढ़ में निम्नलिखित विवरण के अनुसार खोली जायेंगी। कार्यों की मात्रायें बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होंगी।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू० लाख में)	धरोहर धनराशि (रू० लाख में)	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पंजीकृत श्रेणी ग्रुप
		3	4	5	6	7
1	2					
1	जनपद अलीगढ़ के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने का निर्माण कार्य।	738.00	14.76	7500+ GST 18%	15 Month	श्रेणी–IA
2	जनपद आगरा के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने का निर्माण कार्य।	850.00	17.00	7500+ GST 18%	15 Month	श्रेणी–IA
3	जनपद हाथरस में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लाक सहपऊ में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य।	260.00	5.20	4500+ GST	09 Month	श्रेणी–I
4	जनपद हाथरस में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लाक हाथरस में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य।	260.00	5.20	4500+ GST	09 Month	श्रेणी–I

निविदा से संबंधित विवरण	तिथि व समय
Document Download Start Date	22/01/2025 (3:00 PM)
Document Download End Date	15/02/2025 (3:00 PM)
Bid Submission Start Date	22/01/2025 (3:00 PM)
Bid Submission/Closing Date	15/02/2025 (3:00 PM)
Technical Bid Opening Date	17/02/2025 (3:30 PM)
Financial Bid Opening Date	तकनीकी बिड के परीक्षण उपरान्त तिथि निर्गत की जायेगी।

नियम व शर्तें ई–निविदा हेतु :–

1. निविदा प्रोसेसिंग शुल्क व धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम् से अलग–अलग निम्नलिखित विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत् है:–

   क्रम सं0–01 हेतु खाते का विवरण–

Name of Holder	:-	**E.E., U.P. Avas Vikas Parishad, C.D.33, Malviy Pustkaly Market, G.T. Road, Aligarh**
A/C No.	:-	**50146034282**
IFSC No.	:-	**IDIB000A566**
Name of Bank	:-	**INDIAN BANK RAILWAY ROAD ALIGARH**

   क्रम सं0–02 से 04 हेतु खाते का विवरण–

Name of Holder	:-	**Executive Engineer Construction Division-30, U.P.Housing & Development Board, Office Complex Sector-13, Sikandra Yojna, Agra**
A/C No.	:-	**21156130649**
IFSC No.	:-	**IDIB000U532**
Name of Bank	:-	**INDIAN BANK AGRA Branch UPAVP Sector-4, Agra**

2. निविदा प्रोसेसिंग शुल्क/धरोहर धनराशि प्रोसेसिंग शुल्क से संबंधित आर0टी0जी0एस0 के यू0टी0आर0 नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
3. यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
4. निविदा प्रपत्र, परिषद की वेबसाइट www.upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रिानिक कारपोरेशन की वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदार नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं

के संबंध में कोई संशोधन अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्मो द्वारा ही ऑनलाईन निविदा डाली जा सकती है।

5. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित विभाग से धनराशि तद्‌दिनांक तक प्राप्त नहीं है, धनराशि प्राप्त होने के बाद ही निविदा की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
6. शासन के निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री यथा मिट्टी, सैण्ड, स्टोन ग्रिट/बैलास्ट इत्यादि पर रॉयल्टी भुगतान की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एवं सत्यापन उपरान्त ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी। शासनादेश संख्या–3385–2015–292/2015 दिनांक 15/10/2015 के अनुपालन में यदि ठेकेदार/फर्म नियमानुसार रॉयल्टी जमा नहीं करती है, तो निर्धारित रॉयल्टी की धनराशि के अतिरिक्त पांच गुना धनराशि फर्म के देयक से वसूल की जायेगी।
7. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अनुबंध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जाएगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जाएगी।
8. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व निविदादाताओं द्वारा स्थल निरीक्षण कर लिया जाये। बाद में स्थल सम्बन्धी किसी प्रकार का विवाद मान्य नही होगा।
9. निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व इच्छुक निविदादाता/ठेकेदारों/फर्मो से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें तथा कार्यस्थल का जी0ओ0 टैगिंग फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा, क्योंकि बाद में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त क्लेम मान्य नहीं होगा।
10. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टाम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे।
11. निविदादाताओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की जमानत धनराशि आवास आयुक्त (म०) के कार्यालय आदेश संख्या–2539/अभियन्त्रण अनुभाग/परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी/01 दिनांक 09.08.2021 के अनुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–आगरा–02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा/अलीगढ़ के पक्ष में बनवाकर जमा करनी होगी।
12. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया के दौरान या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
13. निविदादाता/फर्म द्वारा दिए गए दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेंगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबंध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
14. निविदादाता/फर्म को जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। फर्म को नियमानुसार जी0एस0टी0 अलग से देय होगी।
15. ठेकेदार/फर्म के सभी देयकों से आयकर, लेबर सेस एवं अन्य कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की नियमानुसार कटौती की जायेगी।
16. निविदादाता द्वारा बिजली कार्य, दीमक रोधी व ब्रिक कोवा कार्य हेतु पंजीकृत होने अथवा उसक द्वारा रु0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर बिजली कार्य एवं दीमक रोधी कार्य हेतु पंजीकृत फर्मो से कार्य कराने का शपथ पत्र एवं प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने पर ही निविदा पर विचार किया जायेगा।
17. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
18. जमानत धनराशि कार्य समाप्ति अथवा सम्बन्धित विभाग को हस्तगन की तिथि, जो भी बाद में हो, से एक वर्ष उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। शासनादेश के अनुसार डिफैक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य पूर्ण होने की तिथि के बाद तीन वर्ष तक होगी, जिसके लिये कार्य की लागत का 1.00 प्रतिशत जमानत धनराशि तत्पश्चात् ही अवमुक्त की जायेगी।
19. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग/परिषद/उ0प्र0 जल निगम की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
20. जी0पी0डब्लू–9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा तथा उसमें उल्लिखित नियम एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।
21. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमूलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबंध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा।
22. निविदादाता की निविदा के साथ निर्धारित वैध प्रमाण–पत्र (टी–4, टी–5, टी–6) की स्कैन की प्रति आनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।
23. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
24. शासनादेश संख्या–522/23–2012–2 ऑडिट/08 टी0सी0–2 दिनांक 08/06/2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 से Below दरें देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी :–
    (I) 10 प्रतिशत Below तक दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम Below दर पर।
    (II) 10 प्रतिशत से अधिक Below दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम Below दर पर।

न्यूनतम दरदाता द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि वित्तीय बिड खुलने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में एफ0डी0आर0 के रूप में जो कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड आगरा–02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

आगरा/अलीगढ़ के नाम बन्धक हो, जमा करानी होगी अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा तथा निविदा निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

25. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
26. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
27. तकनीकी बिड के चेक लिस्ट के अनुरूप मांगे गये सभी दस्तावेज को अपलोड करने पर ही दरें मान्य होगी तथा चेकलिस्ट के अतिरिक्त वांछित किसी प्रपत्र की अपूर्णता पाये जाने पर भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज यदि सही नहीं पाये जाते है, तब प्रथम न्यूनतम दरों पर भी विचार नहीं किया जायेगा।
28. धनराशि शासन से प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जायेगा। शासन से धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने पर कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
29. किसी भी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र नियंत्रक अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय के जनपद में अर्थात आगरा वृत्त हेतु जनपद आगरा होगा।
30. स्किल्ड एवं नॉन स्किल्ड श्रमशक्ति (मानव संसाधन) का पंजीकरण कराने, ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 की व्यवस्था ठेकेदार/फर्म द्वारा अपने स्तर से स्वयं की जायेगी, जिसके लिये परिषद की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
31. परिषद द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किये गये सामग्री की ब्राण्ड सूची के अनुसार सामग्री कार्य में प्रयोग की जायेगी।
32. सम्बन्धित विभाग के साथ परिषद द्वारा किया गया एम0ओ0यू0 अनुबन्ध का अविभाज्य भाग होगा तथा एम0ओ0यू0 में निहित समस्त शर्तो/दायित्वों का अनुपालन फर्म द्वारा किया जाना बाध्यकारी होगा।
33. निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारूप में रू0 100/– के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रू0 1/– का हस्ताक्षरित रेवेन्यू स्टाम्प निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
34. निविदादाता को कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्सम्बन्धी कार्य हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
35. ई–निविदा अपलोड करते समय सक्षम स्तर से निर्गत वैध चरित्र प्रमाण–पत्र एवं हैसियत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
36. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान वर्षा या अन्य दैवी आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
37. प्रस्तावित कार्य स्थल पर भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में यदि अन्यत्र भूमि उपलब्ध करायी जाती है, तो कार्य ई–निविदा में दी गयी दरों पर ही करना होगा। इस सम्बन्ध में फर्म/ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
38. ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी। परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
39. निविदादाता द्वारा कार्य में प्रयोग किये जा रहे जल की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा कार्य आरम्भ करने से पूर्व प्रयोग किये जा रहे जल का टेस्ट सर्टिफिकेट अनुमोदित संस्था से प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
40. उक्त कार्य हेतु एन0जी0टी0 के नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा निर्धारित स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
41. परियोजना को सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित कराने का दायित्व अनुबन्धक का होगा। अनुबन्ध के अन्तिम देयक का भुगतान परियोजना के हस्तगत कराने के पश्चात् ही किया जायेगा।
42. कोविड–19 के अन्तर्गत कार्यस्थल पर सोशल डिस्टैन्सिंग सेनेटाइजेशन/फिजिकल डिस्टैन्सिंग का पूर्णतया पालन करना तथा कार्यरत कार्मिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा इत्यादि से सम्बन्धित प्रदूषण का समुचित उपाय करना अनुबन्धक का उत्तरदायित्व होगा।

(अतुल कुमार सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0: – 142 / DW-24 / 06 दिनांक 15/01/2025

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. निदेशक (म0), ग्लोबल कन्सट्रक्शन एंड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता,/अवध विहार/वृन्दावन/प्रोजेक्ट/अयोध्या/बागपत/बुन्देलखण्ड/गाजियाबाद/गोरखपुर/वाराणसी/कानपुर लखनऊ/मेरठ/प्रयागराज/रूहेलखण्ड, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
4. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निविदा सूचना को परिषद की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंण्ड आगरा–01/02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा/अलीगढ़।
6. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड आगरा–02/03, आगरा/अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित है कि निविदाओं को उपरोक्तानुसार तिथियों से पूर्व राज्य सूचना केन्द्र (NIC) की वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता